अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

06 17-05-2023	न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 21 /2023 राज्य बनाम विशाल मुण्डा उर्फ गोली पिता मिठदास मुण्डा, निवासी बकुलियाटांड, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला राँची (झारखण्ड) ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 243/डी०सी०बी० दिनांक 06.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी विशाल मुण्डा उर्फ गोली पिता मिठदास मुण्डा, निवासी बकुलियाटांड, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं०–15/21 दि० 23.05.2021 धारा 395/412 भा०द०वि० 2. मैक्लुस्कीगंज थाना सनहा दैनिकी सं० 21/23 दि० 18.02.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि विशाल मुण्डा उर्फ गोली पिता मिठदास मुण्डा, निवासी बकुलियाटांड, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला राँची एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा लुटपाट, डकैती करना आदि है। इनके भय के कारण आम जन इनके विरूद्ध पुलिस एवं न्यायालय तक नहीं जाना चाहते है। इनके विरुद्ध गवाह प्रस्ततु नही होने के फलस्वरूप ये जेल से आसानी से छूट जाते है। इनके विरुद्ध कई अपराधिक कांड भी दर्ज है इससे इनके असमाजिक तत्व होना प्रमाणित होता है। ऐसे व्यक्ति से व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ंख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी को निर्गत नाटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी ना तो इस न्यायालय मे कभी उपस्थित ही हुए, ना ही उन्होने कारण पृच्छा समर्पित किया है।

प्रस्तुत मामले मे विद्वान जिला लोक अभियोजक, रॉची ने पत्रांक 138/23 दिनांक 01.05.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमे उन्होने विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) कार्रवाई करने की अनुशंसा किया है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा लुटपाट, डकैती करना आदि है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी विशाल मुण्डा उर्फ गोली पिता मिठदास मुण्डा, निवासी बकुलियाटांड, थाना–मैक्लुस्कीगंज, जिला–राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी विशाल मुण्डा उर्फ गोली पिता मिठदास मुण्डा, निवासी बकुलियाटांड, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला राँची को दिनांक 22.05.2023 से दिनांक 21.08.2023 तक की अवधि के लिए मैक्लुस्कीगंज थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 21.05.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 22.05.2023 से दिनांक 21.08.2023 तक प्रत्येक रविवार मैक्लुस्कीगंज थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी विशाल मुण्डा उर्फ गोली पिता मिठदास मुण्डा, निवासी बकुलियाटांड, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति विशाल मुण्डा उर्फ गोली पिता मिठदास मुण्डा, निवासी बकुलियाटांड, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:00:34 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9